



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 27.09.22



प्रेस नोट

दिनांक 27/09//2022---- थाना सिहानीगेट (गाजियाबाद)

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा वांछित व 20 हजार रुपये का ईनामी अभियुक्त को एक अदद नाजायज 315 बोर तंमचे व एक अदद कारतूस 315 बोर जिंदा के साथ किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विगत वर्ष 2021 सितम्बर के महिने में अपने दो अन्य साथियों सहित स्कार्पियो लूट की घटना में वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र हरपाल नि0- ग्राम डबका थाना अहमदगढ जिला बुलन्दशहर को एक अदद तंमचा देशी दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त थाना हाजा का टाप 10 सूची का अभियुक्त है तथा इसकी गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का ईनाम घोषित है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त दीपक उपरोक्त ने अपने साथी अभियुक्त अरविन्द व सचिन के साथ मिलकर सितम्बर 2021 में लोहियानगर क्षेत्र से एक कार विक्रेता से कार खरीदने के लिये टेस्ट ड्राईव के बहाने उसके नौकर को कार में बिठाकर आगे ले जाकर मारपीट करके उतारकर स्कार्पियो न0 UP14DY5718 को लूट कर ले गये थे। इसी प्रकार माह सितम्बर 2021 में ही एक घटना इन तीनों अभियुक्तों ने सैक्टर 7 फरीदाबाद हरियाणा में घटित की थी। इस घटना में भी अभियुक्त वांछित व फरार चल रहा है। इस सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि सै0 7 फरीदाबाद हरियाणा पुलिस द्वारा भी उक्त अपराधी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है।

अपराध का तरीका:-

अभियुक्त से पूछने पर बताया कि मैं अवैध हथियार के बल पर वाहन चोरी व लूट करता हूँ उसके बाद चोरी व लूट के बाहन बेच देता हूँ। यह स्कूटी भी मैंने दिल्ली से चोरी की थी। अभि0 पहले भी कई बार जैल जा चुका है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक पुत्र हरपाल सिंह नि0 ग्राम डबरा थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 628/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 1191/2021 धारा 411/414/413/482
2. मु0अ0सं0- 1144/2021 धारा-394/411/120बी भादवि0 थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0- 647/2021 धारा-365/394 भादवि0 थाना सैक्टर 7 फरीदाबाद हरियाणा
4. मु0अ0सं0 628/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

श्री नरेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना सिहानीगेट गा0बाद
उ0नि0 श्री जाहिद खान
हे0का0 327 मोनू कुमार,
एचसी 334 अनुज कुमार
का0 3025 विपुल कुमार,
का0 1546 रोहित कुमार

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर



प्रेस नोट

थाना साहिबाबाद -जनपद गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा व्हाटसएप काल से माध्यम से 15 लाख की फिरौती मांगने वाला 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से 02 अदद मो0फोन व एक अदद स्कूटी एक अदद तमंचा व 1 जिन्दा कारतसू व एक खोखा कारतसू 315 बोर घटना में प्रयुक्त बरामद ।

दिनांक 27.09.2022

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 27/09/2022 समय 12.30 बजे शहीद नगर मेट्रो स्टेशन थाना साहाबाबाद गाजियाबाद से जान से मारने की धमकी देकर फिरौती माँगने वाले अभियुक्त को मय 02 अदद मो0फोन व एक अदद स्कूटी एक अदद तमंचा व 1 जिन्दा कारतसू व एक खोखा कारतसू 315 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार किया।



घटना का संक्षिप्त विवरण एवं अनावरण-

अभियुक्त महसीन द्वारा इंटरनेट के माध्यम से विदेशी व्हाटसएप न0 तैयार करके और अपनी आवाज बदलकर दिनांक 16.9.2022 से 19.9.2022 तक शहीद नगर के रहने वाले स्क्रेप कारोबारी जमील अहमद से 15 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गयी थी फिरौती की रकम ना देने पर मुकदमा वादी के घर पर आकर हवाई फायर किया गया था जिस संबंध में मुकदमा वादी द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0स0 1535/22 धारा 384/507 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु टीम गठित की गयी सर्विलांस/साईबर/सीसीवीटीव फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त महसीन को आज दिनांक 27.9.22 को गिरफ्तार किया गया जिसने पूछताछ में बताया कि मेरे द्वारा TEXT NOW के एप के माध्यम से व्हाटसएप पर विदेशी न0 तैयार किया गया जो मैंने यूट्यूब के माध्यम से सीखा था। तथा अपने मौसा जमील अहमद से 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और न देने पर अपने अन्य साथी के साथ मिलकर जमील अहमद के घर के सामने हवाई फायर किया था। अभियुक्त द्वारा व्हाटसएप काल करने में प्रयुक्त मो0फोन मय सिम कार्ड स्कूटी तथा अवैध असलाह बरामद किये गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

महसीन पुत्र सगीर निवासी विजय मौहल्ला जाफराबाद नई दिल्ली उम्र 20 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1535/22 धारा 386 भादवि व 1570/22 धारा 3/25 ए एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री अमित शर्मा

उ0नि0 श्री सुमित कुमार मय टीम

बरामदमदी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त 02 अदद मो0फोन व एक अदद स्कूटी एक अदद तमंचा व 1 जिन्दा कारतसू व एक खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज

थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाले दो नफर अभियुक्त मय 110 ग्राम (60 -50 ग्राम) एल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा नशे का कारोबार करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नशे का कारोबार करने वाले दो अपराधी 1. **रेहान पुत्र राशिद निवासी बबलू गार्डन 21 पीर वाली गली माजिद के मकान में किरायेदार मो0 अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद** 2. **अनीश पुत्र रहीसुद्दीन निवासी वबलू गार्डन 21 पीर वाली गली माजिद के मकान में किरायेदार मो0 अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद** को मय 110 ग्राम (क्रमशः 60 ग्राम व 50 ग्राम) एल्प्राजोलम पाउडर के साथ वलराम नगर की तरफ XEOMI मोवाइल की दुकान के आगे चौकी क्षेत्र डाबर तालाब से दिनांक 27.09.2022 समय करीब 07.00 बजे गिरफ्तार किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

रेहान पुत्र राशिद निवासी बबलू गार्डन 21 पीर वाली गली माजिद के मकान में किरायेदार मो0 अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

मु0अ0सं0 1131/22 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास –

अनीश पुत्र रहीसुद्दीन निवासी वबलू गार्डन 21 पीर वाली गली माजिद के मकान में किरायेदार मो0 अशोक विहार लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

मु0अ0सं0 1132/22 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
- 2.उ0नि0 रामपाल सिंह चौकी प्रभारी डाबर तालाब लोनी गा0बाद
3. उ0नि0 अरुण कुमार
- 4.है0का0 209 अनिल कुमार
- 5.का0 970 घनश्याम

बरामदगी का विवरण:-

110 ग्राम (60 -50 ग्राम) एलप्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद होना ।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से 29 पब्बे शिल्पा देशी तनु मसालेदार शराब अवैध बरामद ।

दिनांक 27.09.2022

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 26/09/2022 समय 21.40 बजे गुप्ता पार्किंग के पास सीमा बार्ड से अभियुक्त वसीम पुत्र तनवीर नि0 इस्लाम नगर नये बस अड्डे के पीछे थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को मय 29 पब्बे शिल्पा देशी तनु मसालेदार शराब सहित गिरफ्तार किया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त वसीम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं इस शराब को नशा करने वाले लोगो को अधिक दामो में बेच कर मुनाफा कमाता हू। तथा अपने खर्चे चलाता हूँ बरामद शराब के बारे में अभियुक्त से लाइसेंस तलब किया तो नहीं दिखा सका जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 1567/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

वसीम पुत्र तनवीर नि0 इस्लाम नगर नये बस अड्डे के पीछे थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1567/22 धारा 60 आबकारी अधि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 सौरभ कुमार



है0का0 1024 संजीव कुमार

का0 3193 सुशील कुमार

बरामदमदी का विवरण:

29 पब्बे शिल्पा देशी तनु मसालेदार शराब अवैध

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से 110 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम अवैध व 32 अदद खाली पन्नी व एक अदद चम्मच छोटी रंग सफेद प्लास्टिक नशीली बरामद ।

दिनांक 27.09.2022

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 23/09/2022 समय 23.50 बजे जीजी फार्म हाउस वाली गली में सड़क से 30 कदम की दूरी पर थाना साहाबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त राजू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी 79 गली नं0 8 थाना फेस दिल्ली उम्र उम्र 24 वर्ष को मय 110 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम अवैध व 32 अदद खाली पन्नी व एक अदद चम्मच सहित गिरफ्तार किया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त राजू उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे पास से जो नशीला पाउडर है मैं इस पाउडर को नशा करने वाले लोगो को बेच कर मुनाफा कमाता हूँ तथा अपने खर्चे चलाता हूँ बरामद पाउडर के बारे में अभियुक्त से लाइसेंस तलब किया तो नहीं दिखा सका जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 1569/22 धारा 8/21 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

राजू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी 79 गली नं0 8 थाना फेस दिल्ली उम्र उम्र 24 वर्ष

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1569/22 धारा 8/21 एनडीपीएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 रामगोपाल सिंह

उ0नि0 पुष्पेन्द्र सिंह

का0 909 अभित

का0 3655 आशू



बरामदमदी का विवरण:-

110 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम अवैध व 32 अदद खाली पन्नी व एक अदद चम्मच



प्रेस नोट

दिनांक 26.09.22

मु0अ0सं0 207/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद,

1.5 किलो ग्राम नाजायज गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध वाहन/वांछित/व्यक्ति/रोकथाम जुर्म जरायम व अवैध ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, के नेतृत्व में उ0नि0 श्री राहुल शर्मा, उ0नि0 श्री किरनपाल सिंह, का0 3740 अमित कुमार, का0 734 अभिषेक द्वारा दौराने चैकिंग थाना हाजा के मु0अ0सं0 207/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट अभि0 विक्रान्त पुत्र सुरेन्द्र नि0 ग्राम पैंगा थाना निवाडी गा0बाद को दिनांक 26.09.22 समय 22.10 बजे ग्राम पैंगा कट के पास गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा अवैध धन अर्जित करने हेतु गांजा की तस्करी का अपराध कारित करना।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- विक्रान्त पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पैंगा थाना निवाडी गा 0बाद सम्बन्धित

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना निवाडी गा0बाद
2. उ0नि0 श्री किरनपाल सिंह थाना निवाडी
3. का0 3740 अमित कुमार थाना निवाडी गा0बाद
4. का0 734 अभिषेक कुमार थाना निवाडी गा0बाद

बरामदगी का विवरण-

1. 1.5 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद होना।

अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 207/2022 धाराएनडीपीएस एक्ट 8/20
2. मु0अ0सं0 53/16 धारा 452/354बी/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट थाना निवाडी

3. मु0अ0स0 238 / 16 धारा 379 / 411 भादवि थाना निवाडी
4. मु0अ0स0 14 / 16 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना निवाडी
5. मु0अ0स0 404 / 18 धारा 308 / 411 भादवि थाना निवाडी
6. मु0अ0स0 416 / 18 धारा 25 / 4ए एक्ट थाना निवाडी
7. मु0अ0स0 178 / 19 धारा 379 / 411 भादवि थाना निवाडी
8. मु0अ0स0 183 / 19 धारा 379 / 411 भादवि थाना निवाडी
9. मु0अ0स0 185 / 19 धारा 379 / 411 भादवि थाना निवाडी
10. मु0अ0स0 186 / 19 धारा 380 / 411 भादवि थाना निवाडी
11. मु0अ0स0 188 / 19 धारा 4 / 25ए एक्ट थाना निवाडी
12. मु0अ0स0 301 / 19 धारा 2 / 3 गैंगस्टर एक्ट थाना निवाडी